बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।
अधिसूचना

पटना, दिनांक 30.3.18

अ0सं0–.........1648........./एम0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 में बालू खनन के लिए मानक पर्यावरणीय शर्त्त में प्राधिकृत/स्वीकृत संख्या द्वारा बालू का वार्षिक Replenishment प्रतिवेदन समर्पित किया जाना अनिवार्य किया गया है। यद्यपि बालू खनन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय शर्त्तों में बंदोबस्तधारियों को Replenishment Study कराने का स्पष्ट निदेश है, लेकिन इसका अनुपालन अक्षरशः नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न नदियों से लगातार बालू का दोहन के कारण नदियों की पारिस्थितिक असंतुलन को देखते हुए राज्य के समस्त नदियों के बालू का Replenishment की अध्ययन अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल कर कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु प्रति वर्ष वर्षाऋतु पूर्व एवं वर्षाऋतु वाद नदियों में निक्षेपित बालू का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोहन के तुलना में बालू का नवीण निक्षेप नदियों में हो रहा है अथवा नहीं।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सम्यक समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्यान्तर्गत समस्त नदियों के बालू का Replenishment की अध्ययन प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर कराया जाएगा।

2. इसमें होने वाले व्यय की वसूली संबंधित जिला के बंदोबस्तधारियों से की जाएगी।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–../एम0, पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–..........1648............................../एम0, पटना, दिनांक–30.3.18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/18

30/3/18

सरकार के अवर सचिव

D/Sanjay/Narendraji/Adhisuchna